SHRI MANUBHAI SHAH: Sir, there are three things. One is Indian property, the other is impounded cargo and the third is inter-river transport goods of Pakistani and Indian origin. A major part of it consists of Indian property left in Pakistan, which can be anybody's guess. Somebody puts it at Rs. 100 crores, somebody at Rs. 75 crores or Rs. 125 crores. But I have never heard the figure of Rs. 500 crores. What I am just answering is about the impounded cargo of foreign origin by the two countries. Its valuation is about Rs. 10 crores.

*26. [*The questioner (Shri A. D. Mani) was absent. For answer,* vide *col.* 192 infra.]

लखनऊ स्थित रेलवे कर्मचारियों के लिए महंगाई तथा मकान किराये के भत्ते

*27. **श्री राजनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लखनऊ स्थित चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों से हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सभी कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) लखनऊ स्थित उत्तर रेलवे के लोको और कैरिज वर्कशाप के कर्मचारियों से कितना मकान किराया वसूल किया जाता है तथा वसूली किस आधार पर की जाती है ?

†[DEARNESS AND HOUSE RENT ALLOWANCES FOR RAILWAY EMPLOYEES STATIONED AT LUCKNOW

*27. SHRI RAJNARAIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have recently received any representation from the Class IV employees of the Railways stationed at Lucknow demanding equal amount of dearness allowance for all employees;

(b) if so, what action has been taken in this regard; and

(c) what amount of house rent is recovered from the employees of Loco and the Carriage workshop of Northern Railway at Lucknow and on what basis the recovery is made ?]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका।

(ग) वास्तविक सूचना मंगायी जा रही है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The demand could not be accepted.

(c) The factual information is being collected.]

श्री राजनारायण : मांग स्वीकार करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में श्री जगन्नाथ दास कमिशन ने महंगाई भत्ते के बारे में और मकान के भाड़े में जो सिफारिश की थी वही आधार माना गया है और यह आवेदन-पत्र आया है इसमें लिखा गया है कि सारे कर्मचारियों को महंगाई एक दर से दी जाय इसलिये यह नहीं माना गया।

श्री राजनारायण : प्रश्न यह है कि महंगाई भत्ते का जो उसूल है वह महंगाई पर मुनहसिर करता है तो महंगाई जो बड़ी तनख्वाह पाने वाले के लिये या उच्च अधिकारियों के लिये है वही निम्न कर्मचारियों के लिये भी है तो जो महंगाई भत्ता देने का उसूल है कि महंगाई के अनुपात में दिया जाय उस उसूल के मुताबिक सरकार क्यों नहीं काम करती ?

डा० राम सुभग सिंह : सरकार ने जिस उसूल को निर्धारित किया है उस उसूल के अनुसार काम करती है और सरकार का निर्धारित उसूल यह है कि जितने कर्मचारी हैं

†[ ]English translation.

उनका जो निश्चित वेतन है उसमें महंगाई की दर से कोई विशेष अन्तर नही आये और इस तरह जो कम से कम वेतन पाते है उनका महंगाई के कारण जो खर्च बढ़ता है उसका 90 परसेट न्युट्रेलाइजेशन किया जाता है और जिनको ज्यादा वेतन मिलता है उनका 20 परसेंट ।

श्री राजनारायण क्या सरकार के पास कुछ ऐसा भी सुझाव आया है कि जिनकी तनख्वाह जितनी कम है उनको महगाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिये महंगाई भत्ता उतना ही ज्यादा दिया जाय ?

डा० राम सुभग सिंह : यही तो मैने कहा कि उनको इसी से 90 परसेट दिया जाता है, 90 परसेंट न्युट्रेलाइजेशन किया जाता है, और जिनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है उनका कम ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियो से क्वाटरों का जो किराया वसूल किया जाता है उस किराये का सम्बन्ध उनके वेतन से होता है न कि उससे कि उस क्वार्टर में रहने के लिये कितनी जगह है, उसमें पानी या बिजली की सुविधा है या नही। और यदि यह सच है तो क्या मंत्री महोदय ने इस व्यवस्था की अतर्कसंगति के बारे में कभी विचार किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : असल में उसको मै असंगत नही कह सकता लेकिन यह उसूल है कि 150 रु० तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों से जो मकान किराया है और उसके वेतन का साढ़े सात परसेंट जो आता हो इन दोनो में जो कम से कम हो वही लिया जाय और जो 150 रु० से ज्यादा तनख्वाह लेते है उनसे वास्तविक मकान किराया या तनख्वाह का 10 प्रतिशत जो कम से कम हो वह लिया जाय । यही उसूल है और मै इसे असंगत इसलिये नही मानता कि पानी और बिजली देने की जवावदेही जिसकी है उससे हम अपेक्षा करेंगे कि वह अपनी जवाबदेही जरूर सम्हाले । कही-कही बिजली नही है, जिस इलाके में बिजली नही है उस इलाके में बिजली नही आती है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वहां किराया कम किया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : कही कही ऐसा भी है, कई जगहें ऐसी है जहा नल नही है और वहा कुएं का पानी चलता है ।

श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान यह बतलायेंगे, जैसा कि पूछा गया, कि जो सुविधायें शासन द्वारा दी जानी चाहिये और वह दी नही है, जैसे कि कही नल नही है, कही बिजली नही है और कहीं दोनो नही है, और ऐसी स्थिति मे उनसे पूरा किराया लिया जाता है, तो जो सुविधायें आपकी निर्धारित है वह उनको नही दी जाती है तो क्या उनका किराया कम लिया जायगा ।

डा० राम सुभग सिंह : अगर ऐसी कोई बात हम लोगों की निगाह मे आयेगी तो जरूर विचार करेंगे ।

SHRI M. M. DHARIA : In order to meet the demands of the workers in view of the rising cost of index, is the Government considering the question of supplying the essential commodities at subsidised rates as was done in the past ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : This was thoroughly discussed during the Budget debate and we expressed our position at that time.

SHRI T. V. ANANDAN : Sir, what I do not understand from the reply of the Minister is this. Prior to the Second Pay Commission, house rent was charged at the rate of 4 per cent of the capital invested for the construction of the residential quarter. The Second Pay Commission recommended the raising of this 4 per cent to 6 per cent. The worker was paying only Rs. 3/- when the rate was 4 per cent and now when it has been raised to 6 per cent he has to pay Rs. 7/-. How is that ? When it was 4 per cent he was paying

only Rs. 3/- and now when it is 6 per cent how does it become Rs. 7/- which is what every man on the Indian Railways in class IV has to pay? Will the hon. Minister explain that?

DR. RAM SUBHAG SINGH: It does not require much explanation because the Commission which went into the matter took into consideration both the remuneration that the employees were getting and the capital cost of the building also, and as the hon. Membe himself has stated, it now stands at 6 per cent and so they decided on that basis and the entire Government accepted that and the Railways are also guided by these principles.

श्री राज नारायण : श्रीमान, प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, वहां उनका किराया उसके खर्चे को काट कर वसूल किया जायगा ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में अगर माननीय प्रश्नकर्ता महोदय ने पूरक प्रश्नों के मेरे शुरू के जवाब को सावधानी से सुना होता तो यह न पूछते । उसमें मैंने कहा कि एक खास इलाके में जो मकान का किराया है और जो तनख्वाह का साढ़े सात परसेंट है इन दोनों में जो न्यूनतम है वही लिया जाता है, और जहां पानी और बिजली नही है वहां मकान का किराया अमूमन कम होता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं होता है ।

डा० राम सुभग सिंह : अगर नहीं होता है तो मैं उसे जानने के लिये तैयार हूं । लेकिन हमारे गांव में जो मकान का किराया है और दिल्ली में जो है उसमें जमीन आसमान का अन्तर है ।

श्री राज नारायण : लखनऊ आपका गांव नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : इसी से किराये की दर अलग अलग स्थानों में अलग अलग है ।

श्री राज नारायण : श्रीमान, मेरा एक सीधा प्रश्न यह है कि मंत्री जी साफ क्यों नही कहते कि अगर लखनऊ के लोगों और कैरिज वर्कशाप के कर्मचारियों से ज्यादा किराया लिया जा रहा है तो वहां किराये में कमी होगी, सीधा उत्तर होना चाहिये कि हम जांच करा कर कभी करेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : जांच कराने की बात जो थी वहां के लिये स्वीकार कर लिया लेकिन आपका प्रश्न था कि जहां पानी और बिजली नहीं है वहां पर क्या तुम साढ़े सात परसेंट से कम किराया करोगे तो उसके लिये मै मानता हूं कि वहां जो मकान के किराये की दर है वही वहां के लिये मान्य है ।

RECOGNITION OF TRADE UNION IN HINDUSTAN STEEL LTD., AT ROURKELA

*28. SHRI BANKA BEHARY DAS: Will the Minister of IRON AND STEEL be pleased to state:

(a) whether the period of recognition of the recognised trade union in Hindustan Steel Ltd., at Rourkela, is over;

(b) if so, which are the unions that are functioning there at present; and

(c) the name of the union which the management proposes to recognise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRON AND STEEL (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

SHRI BANKA BEHARY DAS: Some two years back when there was the communal riot at Rourkela and curfew was imposed, under cover of that curfew, the I.N.T.U.C. Union was recognised without verification of the memberships of the different unions existing there and the recognition of the INTUC union has expired with effect from March 31. Was a proper study made earlier for the purpose of recognition of the unions that existed before 1st April?